(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी मोहम्मद अबूबक्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 87/2018

बउनवान

कल्याणी बाई बेवा मांगीलाल जाति चमार निवासी झरखेड़ी तहसील छबडा जिला बारॉ
(अपीलांट)

बनाम

1. हरनारायण पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी झरखेड़ी तहसील छबडा जिला बारॉ
2. रामचरण पुत्र रामप्रताप जाति मीणा निवासी झरखेड़ी तहसील छबडा जिला बारॉ
3. रामदयाल पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी झरखेड़ी तह0 छबडा जिला बारॉ
4. दुर्गेश पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी झरखेड़ी तह0 छबडा जिला बारॉ
5. किशन पुत्र मांगीलाल जाति चमार निवासी झरखेड़ी तह0 छबडा जिला बारॉ
6. भरोसी पुत्री मांगीलाल जाति चमार निवासी झरखेड़ी तह0 छबडा जिला बारॉ
7. गोपाल पुत्र मांगीलाल जाति चमार निवासी झरखेड़ी तह0 छबडा जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2016 में पारित आदेश
दिनांक 09.06.2017 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट

उपस्थित :– 1– श्री अशोक मीणा अभिभाषक (अपीलांट)
2– अनुपस्थित (रेस्पोडेन्टगण)

निर्णय दिनांक 22.02.2021

अपीलांट द्वारा जर्ये विद्वान अभिभाषक अपील इस न्यायालय में तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2016 में अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट बउनवान कल्याणीबाई बनाम हरनारायण वगैराह में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 के विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रस्तुत अपील को दिनांक 01.05.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्टगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत अपील के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नि[illegible]क कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ [illegible] द्वारा अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। दिनांक 13.0[illegible]16 की पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित कर तथ्यात्मक [illegible] 13.06.2016 को [illegible] आपके द्वार अभियान केम्प झरखेड़ी में अवश्य उपस्थित हुई [illegible] कार्यालय पटवार मण्[illegible]खेड़ी में पटवारी के समक्ष कभी नहीं गयी है। इस रिपोर्ट में कल्याणी की गलत उपस्थिति दर्ज की गयी है। जबकि उसके उक्त केम्प झरखेड़ी में कोई हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा नहीं कराये गये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 15:15:08 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट की हाजरी गलत रूप से अंकन की गई है। अपीलांट के पुत्र व पुत्री सहखातेदारान रेस्पो0 क्रम 5,6,7 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपना इकबाली जवाब प्रस्तुत कर रखा है। इस तथ्य पर अधी0 न्यायालय ने कोई गौर नहीं फरमाया है। सहखातेदारी की भूमि में अपीलांट का 1/4 हिस्सा है, यह रेस्पो0 क्रम 5,6,7 द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः अधी0 न्यायालय को अपीलांट के हिस्से 1/4 रकबा करीबन 3 बीघा 15 बिस्वा के बाबत बेदखली की डिक्री विरूद्ध रेस्पो0 क्रम 1 ता 4 फरमायी जाना चाहिये थी परन्तु ऐसा नहीं किया गया। अपीलांट अनपढ़ व विधवा महिला है। वह कानून प्रक्रिया नहीं समझती है। दिनांक 09.06.2017 के बाद प्रार्थीया मजदूरी हेतु चली गयी थी। दिनांक 05.04.2018 को गाँव में वापिस आने पर अपीलांट ने अभिभाषक से संपर्क करके उसी दिनांक को अपील न्यायालय में पेश की। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 09.06.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

मेरे द्वारा प्रकरण में अपीलांट के अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण बावजूद सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहे है। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन/विश्लेषण किया गया। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 4/2016 बउनवान कल्याणी बाई बनाम हरनारायण वगैराह में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 09.06.2017 में संशोधन किया जाता है कि प्रार्थीया/अपीलांट कल्याणी बाई बेवा मांगीलाल जाति चमार निवासी झरखेड़ी का जमाबन्दी ग्राम झरखेड़ी संयुक्त खाता सं0 नई 126 पुरानी 124 कुल रकबा 15 बीघा सम्वत् 2073–2076 एवं जमाबन्दी ग्राम झरखेड़ी संयुक्त खाता सं0 नई 22 पुरानी 80 कुल रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा सम्वत् 2073–2076 के अनुसार प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा प्रमाणित है। प्रकरण में उक्त समस्त आराजी की मौका स्थिति की जाँच करवाई जावें। यदि उक्त आराजी पर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टगण हरनारायण पुत्र रामप्रताप मीणा, रामचरण पुत्र रामप्रताप मीणा, रामदयाल पुत्र नन्दकिशोर ब्राह्मण, दुर्गेश पुत्र नन्दकिशोर ब्राह्मण निवासीगण झरखेड़ी तहसील छबड़ा का कब्जा पाया जाता है तो उन्हें बेदखल कर प्रार्थीया को तत्काल उसके 1/4 हिस्से की आराजी पर कब्जा संभलाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.04.10 16:15:08 IST
Reason: SelfAttested